राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(मिनिरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi –12

क्र : सी.एस.एफ./एसओजी/कृषि/2-65/भाग-**II**/2025-26/ दिनाँक: **19.02.2026**

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानागर (राजस्थान) में **रबी 2025-2026** में बोई गयी **सरसों 560.00 एकड़, तोरिया 37.00 एकड़, तारामीरा 14.00 एकड़, चना 2561.50 एकड़ व अलसी 90.00 एकड़ की कटाई, थ्रैशिंग** करने हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि **दिनाँक 26.02.2026 को 02:00 बजे तक** भरी जा सकती है और जिन्हें उसी दिन (दिनाँक 26.02.2026) दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय सूरतगढ़ में खोला जायेगा | इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं | निविदा में भाग लेने के लिये निविदा फॉर्म शुल्क रुपये 236/- और धरोहर राशि रुपये 10,000/- मात्र फसलवार-चकवार के अनुसार ऑनलाईन माध्यम से दिनाँक 26.02.2026 को दोपहर 02:00 बजे से पूर्व **एकमुश्त** राशि जमा करनी होगी | निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है | निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है |

प्रभारी (कृषि)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	20.02.2026
Date and time for submission of online bid	From 20.02.2026 09:30 AM TO 26.02.2026 02:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Suratgarh	26.02.2026 at 3:00 PM
Tender Fee (to be deposited online)	Rs. 236.00 (Rs. 200+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online) refer point no. 01 of T&C	Rs. 10,000.00 per crop per chak.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Dr. Anil Kumar, In charge (Agriculture) 84738-05676, ago.csfsuratgarh@gmail.com

Instructions to Bidder- Online Mode

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook/Cheque	
Signed copy of Term & Conditions	
Tender form fee deposited (Yes/No)	
No. of chaks applied	
EMD amount deposited (in Rs.)	

<u>निविदा प्रपत्र</u>

दिनाँक: 26.02.2026

फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ |

विषय : रबी 2025-26 की फसलों की हाथ से कटाई/गहाई के लिये टेंडर |

फसल	खंड संख्या	चक संख्या	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ (रुपयों में)	
				ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
सरसों	1	42 STG	109.00		
		44 STG	45.00		
	2	RPM-II	182.00		
		RPM-IV	150.00		
		33 PBN	74.00		
तोरिया	1	42 STG	8.00		
	2	RPM-II	29.00		
तारामीरा	3	34 PBN	14.00		
चना	1	BRP-1	200.00		
		38 STG	211.00		
		40 STG	305.00		
		42 STG	35.00		
		44 STG	243.00		
	2	RPM-II	325.00		
		RPM-III	201.00		
		RPM-IV	418.00		
		33 PBN	244.00		
	3	34 PBN	379.50		
अलसी	1	BRP-1	10.00		
		38 STG	25.00		
		40 STG	12.00		
	2	33 PBN	43.00		

<u>नोट:</u> फसलों का एरिया वर्तमान स्थिति के अनुसार दिया गया है, यह कटाई के समय खड़ी फसल की स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है |

ठेकेदार के हस्ताक्षर...
नाम व पूरा पता:..
....
मोबाईल न0...
निविदादाता का बैंक खाता संख्या ....
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)
रबी 2025-26 फसलों की कटाई के लिये नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता/बोलीदाता को रुपये 10,000/- मात्र फसलवार-चकवार धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे | यदि कोई व्यक्ति/फर्म एक से ज्यादा चक के लिये दरें भरना चाहता है तो एक ही बार में सम्पूर्ण धरोहर राशि (रुपये 10,000 X जितने चकों की दरें निविदा में भरनी है) ऑनलाईन माध्यम से जमा करनी होगी |

2. निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पास बुक/चेक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को अपलोड करना अनिवार्य है |

3. सफल बोलीदाता/निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रुपये 10,000/- मात्र फसलवार-चकवार के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में जमा करवाना होगा | सफल बोलीदाता/निविदादाता के द्वारा निविदा में जमा की गई धरोहर राशि अमानत राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकती है । जमा अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के पश्चात बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी | असफल निविदादाता की **धरोहर** राशि **उसके** बैंक खाते में जमा करवा दी जायेगी |

4. **कार्य आदेश जारी होने के उपरांत यदि ठेकेदार द्वारा कार्य 07 दिनों में या फसल की कटाई की सही अवस्था आने पर चक प्रभारी व खंड प्रभारी के अनुसार शुरू नहीं किया जाता है तब उस दशा में ठेकेदार का कार्य आदेश फार्म द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व ठेकेदार द्वारा जमा अमानत राशि/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी | फार्म द्वारा वह कार्य किसी अन्य ठेकेदार द्वारा करवाया जायेगा |**

5. **यदि ठेकेदार द्वारा फार्म को राशि दी जा रही है उस दशा में** आवंटित क्षेत्र की 25% राशि कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करवानी होगी एवं शेष 75% राशि थ्रैशिंग शुरू करने से पहले जमा करवानी होगी | रकम जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी |

6. निविदादाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा |

7. निविदा में सरसों, तोरिया, तारामीरा, चना व अलसी का क्षेत्र कटाई के समय फसल की स्थिति के अनुसार व फसल के Net standing area के अनुसार कम हो सकता है / किया जा सकता है |

8. सरसों, तोरिया, तारामीरा, चना व अलसी फसलों की कटाई के लिये ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई संबंधित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी |

9. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर/छोटी मंडली लगानी होगी, तथा वह सूखने के बाद हार्वेस्टिंग के समय एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होंगे, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा | कटी हुई सरसों की छोटी मंडलियों/छोटे ढेरों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इखट्टा करना होगा |

10. सरसों, तोरिया व तारामीरा की थ्रैशिंग ठेकेदार को **लेबर सहित** स्वयं के थ्रैशर से **करनी होगी तथा थ्रैशिंग के दौरान होने वाला सम्पूर्ण खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा |** चने व अलसी की कटाई व थ्रैशिंग में लेबर ठेकेदार की होगी व थ्रैशिंग फार्म कम्बाईन से करनी होगी **| सरसों, तोरिया, तारामीरा, चना व अलसी का** पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा |

11. ठेकेदार व उसके किसी भी श्रमिक द्वारा फसल के दाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा |

12. अनाज को फार्म वाहन में लादकर संबंधित खंड के विनोइंग सेंटर पर पहुंचाना होगा | संबंधित खेत के खलिहान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी **तथा उसमें प्राप्त दाने को भी फार्म ट्रॉली में रखकर विनोइंग केंद्र पर पहुंचाना होगा |**

13. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा | नीरा सायं 05 बजे तक ही ले जा सकेंगे तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करने पर ठेकेदार चैक करवाने से मना नहीं करेगा | **यदि किसी कारणवश नीरा सायं 05 बजे के उपरांत ठेकेदार द्वारा ले जाना पड़ जाये तब वह उसकी सूचना चक प्रभारी, खंड प्रभारी व संबंधित खंड के हेड गार्ड को देगा व उसकी अनुमति के उपरांत ही लेकर जायेगा |**

14. कार्य चक प्रभारी, **खंड प्रभारी** व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा | फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है |

15. ठेकेदार द्वारा अलसी की थ्रैशिंग फार्म कम्बाईन से 2 बार या आवश्यकता अनुसार 2 से अधिक बार चक इंचार्ज **व खंड प्रभारी** के निर्देशानुसार करनी होगी |

16. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से **सही समय रहते कटाई या गहाई न होने पर** फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्च इस कार्य को पूरा करने में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार **के बिल** से की जायेगी |

17. कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिये फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा |

18. फसलों की कटाई अथवा थ्रैशिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी, इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा |

19. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को रु. 500.00 का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही वह कार्य करेगा |

20. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा | फार्म, लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा |

21. कार्य आदेश जारी होने के बाद यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है अर्थात उसे अधूरा छोड़ा जाता है तब फार्म द्वारा उस अधूरे कार्य को किसी दूसरे ठेकेदार से पूरा करवाया जायेगा | इस दशा में प्रथम ठेकेदार (कार्य अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार) द्वारा किये गये कार्य का उसको भुगतान नहीं किया जायेगा व साथ ही ठेकेदार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी|

22. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी |

23. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा |

24. ठेकेदार का कोई श्रमिक भी यदि फार्म संपदा या फार्म उत्पादन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व उस दशा में ठेकेदार पर निविदा की नियम-शर्त संख्या 25 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी |

25. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है, **फार्म संपदा** या फार्म produce (उत्पादन) को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म **संपत्ति या उत्पादन** को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि/अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |

26. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का कीकल्प चुनेंगे | यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किये गये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा | इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिये एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा | कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे | मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी | न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा |

निविदादाता के हस्ताक्षर